संख्या- /2016/ [illegible]

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा के 06 सामु0स्वा0केन्द्रों की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10103/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.09.16 तथा शासनादेश संख्या-2159(1)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 व शासनादेश संख्या-2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14, शासनादेश संख्या-2159(4)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 व शासनादेश संख्या-86/2139/पॉच-6-14-24(वि0को0)/12 दिनांक 03.11.14 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों द्वारा संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु संलग्न तालिका के कालम-3 में अंकित विवरणानुसार प्रति सामु0स्वा0केन्द्र रू0-374.14 लाख की मूल स्वीकृति मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत की गयी। तदोपरान्त संलग्न तालिका के कालम-4 में अंकित विवरणानुसार उक्त भवन निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन को पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित किया गया।

2- अतएव आपकी उक्त संस्तुति व संलग्न तालिका के कालम-4 में अंकित विवरणानुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के अनुसार कुल रू0-3077.25 लाख (रूपया तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की केवल प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2159(1)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 व शासनादेश संख्या-2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14, शासनादेश संख्या-2159(4)/पॉच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 व शासनादेश संख्या-86/2139/पॉच-6-14-24(वि0को0)/12 दिनांक 03.11.14 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, 'जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्य मदें जिनकी कार्य दरें लोक निर्माण की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं है, की लागत आकलन बाजार दरों पर किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(13) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

(15) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(16) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-2159(1)/पाँच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14 व शासनादेश संख्या-2159(3)/पाँच-6-14-10(नि0)/14 दिनांक 10.10.14, शासनादेश

संख्या-2139(1)/पाँच-6-14-10(जि0)/14 दिनांक 10.10.14 व शासनादेश संख्या-36/2139/पाँच-6-14-24(वि0को0)/12 दिनांक 03.11.14 की प्रभावित होंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1690/दस-16 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 359 /2016/ 2430 (1)/पाँच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा ।

4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा ।

5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

8- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम/सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कन्नौज, फतेहपुर, सम्भल, सोनभद्र व आगरा ।

9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

शासनादेश संख्या- 37 /2018/ 3?? /पांच-6-18-74(नि0)/18 तददिनांक 11 दिसम्बर 2018 का संलग्नक

(रूपया लाख में)

क्र.सं.	सामु0स्वा0केन्द्र का नाम	मानकीकृत लागत के आधार पर मूल स्वीकृत लागत	पी0एफ0ए0डी0 द्वारा विस्तृत आगणन की मूल्यांकित लागत के आधार पर स्वीकृत की जा रही प्रशासनिक लागत
1	2	3	4
1	सामु0स्वा0केन्द्र, विशुनगढ़, कन्नौज	374.14	507.88
2	सामु0स्वा0केन्द्र, उमरदा, कन्नौज	374.14	501.11
3	सामु0स्वा0केन्द्र, दपसौरा, फतेहपुर	374.14	508.59
4	सामु0स्वा0केन्द्र, कैलादेवी, सम्भल	374.14	504.85
5	सामु0स्वा0केन्द्र, कोन, सोनभद्र	374.14	504.78
6	सामु0स्वा0केन्द्र, अछनेरा, आगरा	374.14	550.04
		योग-	**3077.25**

(रूपया, तीस करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

संख्या- /2016/ /पांच-6-16-17(निर्माण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गाजीपुर के युसूफपुर मोहम्मदाबाद में पुराने प्राथ0स्वा0केन्द्र परिसर में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-239/2016/2298/पांच-6-16-17(नि0)/15, दिनांक 26.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनपद गाजीपुर के युसूफपुर मोहम्मदाबाद में पुराने प्राथ0स्वा0केन्द्र परिसर में नये ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया और इस ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण के लिये उ0प्र0 आवास विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये रू0-177.81 लाख (रूपया एक करोड सतहत्तर लाख इक्यासी हजार मात्र) की अनन्तिम लागत की प्रशासकीय व रू0-88.91 लाख (रूपया अटठासी लाख इक्यानबे हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-239/2016/2298/पांच-6-16-17(नि0)/15, दिनांक 26.09.2016 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उक्त निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन को सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए।

(4) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(8) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(11) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।

(12) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

(13) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(16) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-09 ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मॉस कैजुअलिटी प्रबन्धन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-358/2016/3090(1)/पाँच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजीपुर ।
(4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर ।
(8) निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ ।
(9) परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, गाजीपुर ।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(12) गार्ड फाइल।
(13) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

संख्या- /2016/ /पांच-6-16-72(निर्माण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा शिवसत में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10743/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 17.11.16 तथा शासनादेश संख्या-2514/पॉच-6-16-72(निर्माण)/16, दिनांक 25.10.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की दिनांक 25.10.2016 को की गयी घोषणा के अनुपालन में जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा शिवसत में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये रू0-3566.38 लाख (रूपया पैतीस करोड़ छाछठ लाख अड़तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक तथा रू0-325.00 लाख (रूपया तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-i-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2514/पॉच-6-16-72(निर्माण)/16, दिनांक 25.10.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(4) कार्यदायी संस्था का धनराशि तभी अवमुक्त की जाये जब निर्विवाद भूमि विभाग को उपलब्ध हो जाये।

(5) पी0एफ0ए0डी0 व वित्त विभाग की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्ति किया जायेगा ।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत् की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में दिनांक 31.12.17 तक पूर्ण करके विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(12) उपर्युक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा ।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(16) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

(18)कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(19)शेष शर्तें शासनादेश संख्या-1290/पॉच-6-16-22(नि0)/16, दिनांक 05.07.16 की यथावत रहेगी।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-15-100 शैया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-1738/दस-16 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 360 /2016/2807 (1)/पाँच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
5- वित्त नियंत्रक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , उ0प्र0, लखनऊ ।
6- निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2/चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in